



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा
संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
National Water Development Agency
(Ministry of Water Resources, River Development
and Ganga Rejuvenation, Government of India)

संख्या: 15/5/2018-हैदराबाद/ संगोष्ठी/हिन्दी/ 8361-8407 दिनांक: 29 मई, 2018
05/06/2018

विषय: "जल संसाधन के ईष्टतम उपयोग में प्रबंधन की भूमिका"

आपको जानकर हर्ष होगा कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा अप्रैल, 2019 में "जल संसाधन के ईष्टतम उपयोग में प्रबंधन की भूमिका" विषय पर हैदराबाद में एक तकनीकी संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। तिथि बाद में समय से सूचित की जाएगी।

संगोष्ठी को सफल बनाने एवं योगदान सुनिश्चित करने की दृष्टि से उपरोक्त विषय वस्तु पर स्वयं और अपने विभागीय पदाधिकारियों के लेखों के सारांश सहित भागीदारी की सूचना सहायक निदेशक (राजभाषा) को 31 जुलाई, 2018 तक सूचित करने का कष्ट करें।

ए.के. श्रीनिवास

(एम.के. श्रीनिवास)

महानिदेशक

प्रति संलग्न सूची अनुसार:

1. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, भू जल भवन, एन.एच.पी.सी., फरीदाबाद।
5. निदेशक, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, खड़कवासला, पुणे।
7. निदेशक, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाला, एलोफ पाल्मे मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली।
8. निदेशक, केंद्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान भवन, रुड़की।
9. अध्यक्ष, जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लि., कैलाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
10. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि., प्लॉट नं. 67-68, सेक्टर-25, फरीदाबाद-121004
11. मुख्य अभियंता, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, 74 सेक्टर-बी, विजय नगर, इंदौर।

.....2.....

- 2 -

12. सचिव, सरदार सरोवर निर्माण परामर्शी समिति, ए-ब्लॉक, चौथा तल, नर्मदा भवन, इंदिरा एवन्यू, वडोदरा-390001, गुजरात ।
 13. महाप्रबंधक, फरक्का बैराज परियोजना, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल फरक्का ।
 14. अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, वशिष्ठ, गुवाहाटी ।
- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के सभी क्षेत्रीय कार्यालय
1. मुख्य अभियंता (उ/द.), रा.ज.वि.अ., लखनऊ/हैदराबाद
 2. सभी अधीक्षक अभियंता, रा.ज.वि.अ.,
 3. सभी कार्यपालक अभियंता, रा.ज.वि.अ.,
 4. महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव
 5. मुख्य अभियंता (मु.), के निजी सचिव
 6. निदेशक (तक.)
 7. निदेशक (प्रशासन)
 8. निदेशक (वित्त)
 9. निदेशक (एम.डी.यू.)
 10. अधीक्षक अभियंता-I
 11. अधीक्षक अभियंता-II
 12. निदेशक- नदी जोड़ पर विशेष समिति
 13. उप निदेशक (प्रशासन)
 14. कार्यपालक अभियंता (मुख्या.)